

प्ररूप - 9.3
[नियम 6(1) के अधीन]

भूमि संयोजन योजना में भाग लेने के लिए शपथ पत्र के साथ आवेदन प्ररूप

सेवा में
विकास प्राधिकरण

विषय— क्षतिपूर्ति राशि और अन्य लाभों के क्रम में आवंटित विकसित और पुनर्गठित भूमि तथा भूमि संयोजन योजना के अधीन होने वाले भागीदारों हेतु आवेदन पत्र।

संदर्भ— नियम 6(1) के अधीन दिनांक ----- को प्रकाशित अधिसूचना संख्या----- दिनांक --- द्वारा जारी सूचना।

महोदय,

1. मैं/ हम ----- पुत्र श्री/पत्नी श्री----- भूमि संयोजन योजना के लिए एतद्वारा विकास क्षेत्र में स्थित असनुचिम दो में लिखित विवरणानुसार भूमि के सक्रमणीय अधिकार चिन्हांकित के साथ भूमि धारक/वैयक्तिक स्वामी/सह अंशधारी है और विकास प्राधिकरण के पक्ष में भूमि को त्यागने/ परित्याग करने/हस्तांतरण करने तथा संदर्भ में सूचना के निर्बन्धन और शर्तों तथा योजना/नियमों में यथाविवरण विकास प्राधिकरण द्वारा विकास करने के भूमि संयोजन योजना का अंतिम सूचना के पर मेरे/हमारे हकदार के अनुसार विकसित भूमि के भाग का आवंटन कर दिया जायेगा।
2. अनुसूची दो उल्लिखित अभिलेख की प्रति जो ये पुष्टि करती है कि उपयुक्त भूमि मेरे/हमारे स्वामित्व के अधिकार में है और संलग्न संदर्भ अभिलेख परीक्षण के दौरान उपलब्ध कराये जाने वाले मूल प्रतियां संलग्न है।
3. मैं/हम यह अवगत कराते है कि हमने उपर संदर्भित भूमि संयोजन योजना के उपबंधों और विस्तृत अधिसूचित नियमों को विस्तारपूर्वक पढ़ और समझ लिया है। मैं/हम उक्त भूमि संयोजन योजना के अधीन विकसति प्रक्रिया में भागीदार बनने के इच्छुक है और मैं और हम भूमि संयोजन योजना के अधीन अनुसूची दो के अंतर्गत निर्णित भूमि को प्रत्याहरित करने के इच्छुक है।
4. अग्रेतर मैं/हम (पूर्ण अथवा आंशिक) उपयुक्त संदर्भ में यथाउल्लिखित पुनर्गठित भूमि के अनुपातिक अंश के अंतिम आवंटन के लिए अनुमोदित विकास योजना के योजना कार्यों के भीतर तैयार ले आउट योजना के अनुसार विकास प्राधिकरण को आवंटित करने के इच्छुक है।
5. मैं /हम पूर्ण रूप से सावधानी और होसाहवास से यह कथन करते है कि हम भूमि संयोजन योजना के अधीन भागीदार बनने का विकल्प चुनते है। मैं/ हम भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्वासन अधिनियम, 2013 के अधीन किसी नगद क्षतिपूर्ति या अरु कोई लाभ लेने के लिए किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रखेगे।
6. मैं/हम इस आवेदन के अनुसूची एक के अनुसार अनुबंध संलग्न कर रहे है।
7. मैं/हम यह कथन करते है कि उपर उल्लिखित विवरण मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है तथा मैं/ हम उक्त सत्य और सही पर विश्वास करते है। इसके किसी भाग में कोई असत्य विवरण नहीं है तथा कोई बात नहीं छुपाई गई है। मैं/ हम यह अनुबंध

करते हैं भूमि संयोजन योजना के उपबंधों के अनुसरण में यह शपथ पत्र में दिये गये उपबंधों का प्रयोग करेंगे और सहमत होते हैं कि मेरे /हमारे द्वारा प्रयुक्त विकल्प अनुत्क्रमणीय है।

8. अग्रतर मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि भूमि संयोजन योजना के लिए भूमि के हस्तान्तरण/ अंतरण उत्तर प्रदेश भूमि धारक अधिरोपण अधिनियम (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त)के उपबंधों का उल्लंघन नहीं है।

9. मैं/हम इस शपथ पत्र के साथ संलग्न अनुसूची दो में भूमि में स्वामित्व /कब्जा है। इस सम्पत्ति पर किसी प्रकार का स्वामित्व/कब्जा/किसी हित के संबंध में कोई सिविल विवाद किसी न्यायालय में लंबित नहीं है।

10. मैं/हम यह कथन करते हैं कि प्रस्तावित भूमि उत्तर प्रदेश जमींदारी बिनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 से आच्छादित नहीं है।

11. मैं / हम यह कथन करते हैं कि प्रस्तावित भूमि किसी भूमि अर्जन अधिसूचना/ हस्तांतरणीय प्रस्ताव द्वारा आच्छादित नहीं है।

12. मैं/ हम यह कथन करते हैं कि प्रस्तावित भूमि पर सरकार अथवा किसी बैंक अथवा किसी अभिकरण की कोई धनराशि अवशेष नहीं है, अथवा

मैं/हम यह कथन करते हैं कि ----- संस्था/अभिकरण का नाम को ----- रूपया अवशेष है।(जो लागू न हो उसे काट दिया जाय)

घोषणा

मैं/हम श्री----- पुत्र/पत्नी श्री----- आयु लगभग----- निवासी----- निम्नवत यह सत्यापित और कथन करते हैं कि इस प्ररूप में दी गयी सूचनाएं सत्य और सही है तथा मेरे/हमारे द्वारा दी गई सहमति अहस्तांतरणीय है तथा मेरे/हमारे अधिकतम विश्वास /जानकारी के अनुसार सत्य और सही है और इसमें किसी प्रकार की कोई सूचना को छुपाया नहीं गया है। मैं/हम अग्रतर यह कथन करते हैं कि मैंने/हमने किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकरण द्वारा बिना किसी प्रभाव या इच्छा के विरुद्ध भूमि संयोजन योजना को अंतरित करने का विकल्प लिया है।

भवदीय,

भूस्वामी का नाम और हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:



अनुसूची.1 अनुबंध

प्रमाणित किया जाता है कि मैं/हम योजना और उसमें दिये गये उपबंधों तथा अधिसूचित नियमों को समझने के पश्चात भूमि संयोजन योजना के अधीन होने वाले भागीदारों को अहस्तांतरणीय विकल्प के क्रम में या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी के अनुसरण में करते हैं, मेरे उपयुक्त आवेदन पत्र के विवरण मेरे/हमारे आवेदन के अनुसार सही और सत्य है। इसका कोई भाग असत्य नहीं है और इसमें किसी प्रकार को विवरण को छुपाया नहीं गया है।

मैं/हम सुविधापूर्वक अनुबंध करते हैं कि विकास प्राधिकरण/ सरकार के विस्तृत नियमों /विनियमों तथा अधिसूचित भूमि संयोजन योजना के अनुसरण में निम्नलिखित शर्तों और निर्बंधनों के अन्तर्गत करते हैं—

- 1— कि उक्त भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त है यथापूर्व डिक्री , उपहार, बंधक, विवाद, न्यायालयीय प्रकरण, मांग पत्र, किसी न्यायालय में डिक्री के अधीन सम्बद्ध , नियम, न्यायालयीय आदेश, सूचना, दावा, वसीयत, न्यास, विनियम, पट्टा, ऋण, पुष्टि, प्रतिभू, स्टगन आदेश, विक्रय के लिए पूर्व करार, सामंजस, सुलह ज्ञापन, संयुक्त धारण, न्यायालयी सम्बद्धता, स्थगन आदेश, पारिवारिक विवाद, टेसपास, आदेश, सम्भार, स्वैटर, विकल्प, प्रतिभूहित, उत्तरदायित्व, पूजा का स्थान, खतरनाक सामग्री, दूषित पर्यावरण, उपरी जल टैंक के उपर/नीचे, पाईप लाइन और टांसमिशन लाइन, पेयजल निकाय, कुआं या कोई अन्य कार्यवाही या भार युक्त इत्यादि किसी प्रकार की नहीं है।
- 2— कि उक्त भूमि के संबंध में किसी अन्य अधिकारी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या आयकर प्राधिकारियों द्वारा सम्बद्धता का कोई आदेश नहीं है।
- 3— भू स्वामी /व्यक्ति के पास संक्रमणीय/ गैर संक्रमणीय अधिकार वाले भू धारक के सभी अधिकार हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि संयोजित भूमि सभी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त होने का प्रमाण पत्र जब तक कि विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि संयोजन स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी नहीं कर दिया जाता है। भूमि पर सभी प्रकार के भार/अतिक्रमण पत्र के माध्यम से भू स्वामी को वापस कर दिये जायेंगे और प्राधिकरण इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
- 4— कि यदि किसी मामले में भू स्वामी /व्यक्तियों द्वारा किये गये प्रत्यावेदन/आश्वासनों पर संक्रमणीय और गैर संक्रमणीय अधिकार पर भू धारक के अधिकार असत्य और किसी भाग में विकास प्राधिकरण का अंश नहीं है तो वह भू स्वामी व्यक्तियों के अधिकारों के स्वामित्व और हक को किसी विधिक कमी के कारण पूर्ण नहीं करते हैं तो वह/वे विकास प्राधिकरण द्वारा उठाये गये क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे और विकास प्राधिकरण सुरक्षित रहेगा तथा विकास प्राधिकरण द्वारा उठाई गई क्षति जोखिम कीमतों के सापेक्ष भू स्वामी को पूर्ण करनी होगी।
- 5— कि संक्रमणीय /गैर संक्रमणीय अधिकार वाले भू स्वामी/ व्यक्तियों को दिये गये भूमि संयोजन स्वामित्व प्रमाण पत्र पर वह /वे किसी अन्य उत्तरवर्ती क्रेता के साथ विक्रय अनुबंध निष्पादित करने के बारे में विकास प्राधिकरण को अवगत करायेगा और रजिस्ट्रीकरण के 90 दिनों के भीतर विकास प्राधिकरण को रजिस्टर्ड विक्रय की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा तथा इस बात के लिए बाध्य होगा कि भूमि संयोजन स्वामित्व प्रमाण पत्र की शर्तों विकास प्राधिकरण द्वारा जारी और समय समय पर यथालाभ सन्निर्माण के लिए नीतियों /समयबद्धता से कार्य करेगा।



- 6- कि संक्रमणीय अधिकार वाले भू धारक के भू स्वामी/व्यक्ति न तो विकास प्राधिकरण या उसके ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि के कब्जे को चुनोती देंगे और नही विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि पर सन्निर्माण के सापेक्ष किसी न्यायालय के आदेश प्राप्त करेंगे।
- 7- कि किसी स्तर पर किसी शिकायत होने पर भूमि संयोजन के लिए नियुक्त विकास प्राधिकरण द्वारा समाधान किया जायेगा।
- 8- भूमि संयोजन योजना के अधीन भूमि के उपर किये गये कार्य के तुरत पश्चात विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये प्राप्ति पर कब्जा है।
- 9- कि पुनगठित भूखण्ड लॉटरी के माध्यम से आवंटित किये जायेंगे।
- 10- कि भू स्वामी को भूमि की वापसी संयोजित भूमि के निकट यथासम्भव नियोजन अपेक्षाओं के अध्याधीन दी जायेगी।
- 11- कि भूमि संयोजन स्वामित्व प्रमाण पत्र स्वामित्व के साथ हस्तांतरति अधिकार संक्रमणीय अधिकार वाले भू धारक के भू स्वामियों / व्यक्तियों की सभी इच्छाओं के करार निष्पादन की तारीख से 9 माह के भीतर जारी किया जायेगा और भूमि संयोजन स्वामित्व प्रमाण पत्र के जारी होने के तीन वर्ष के भीतर योजना क्षेत्र का विकास पूर्ण किया जायेगा।
- 12- कि भूमि संयोजन योजना के अधीन अभ्यर्पित मूल भूमि के प्रत्येक एकड़ पर नीचे दी गयी तालिका में उल्लिखित अनुसार संक्रमणीय अधिकार वाले भू स्वामियों/व्यक्तियों को पुनगठित भूमि की वापसी और अन्य भुगतान किये जायेंगे।
- 13- कि पुनर्गठित भू खण्ड संक्रमणीय अधिकार वाले भूधारकों के किसी भू स्वामी/व्यक्ति जिसने इस हेतु अनुरोध किया गया हो मूल भूमि के श्रेणी के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में मूल भूखण्ड के किसी एक क्षेत्र में उपलब्ध कराया जायोगा।
- 14- कि पुनगठित भूखण्ड मूल भूमि के श्रेणी के अनुसार संयुक्त आवंटन हेतु विभिन्न भू स्वामियों के अनुरोध पर किसी एक क्षेत्र में उपलब्ध कराया जायेगा।
- 15- सरकार की विहित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक परिवार को 150000 रूपया तक का कृषि ऋण एक समय क लिए माफ किया जायेगा।
- 16- भूमि संयोजन स्वामित्व प्रमाण पत्र और संबंधित भुगतान जहां मूल भूमि ऐसी संस्थाओं की है वहां धार्मिक संस्थाओं या पूर्व न्यासियों को विन्यास विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- 17- कि टीक वृक्षों के कटाव और उनकी बिक्री के लिए संबंधित शुल्क से सम्यक छूट संबंधित स्वामित्व और संक्रमण अनुज्ञा वन विभाग के माध्यम से जारी की जायेगी।
- 18- इस करार की तारीख को खड़ी फसल को कटाई की अनुमति दी जायेगी।
- 19- कि भू स्वामी को एक समय के लिए स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण शुल्क, गैर कृषि भूमि आंकलन तथा प्रारम्भिक संरचना विकास शुल्क से छूट दी जायेगी।

भू-स्वामी का नाम
साक्षी

हस्ताक्षर



अनुसूची 2

भू-स्वामियों व अन्य भूमियों का विवरण

क्रम संख्या

नाम

पत्नी/पुत्री श्री

जन्म का दिनांक दिन — माह— वर्ष— (यदि उपलब्ध हो)

आधार संख्या

राशन कार्ड संख्या

मोबाईल संख्या

आवासीय पता

ग्राम पंचायत

राजस्व ग्राम:

अधिवासी:

संलग्न अभिलेख:

— पते सहित पासबुक की प्रति

—विलेख स्वामित्व

—संबंधित अभिलेख

—15 वर्ष का अदेय प्रमाण पत्र

फोटो

भूमि का विवरण

मण्डल : राजस्व ग्राम:

सूचना के अनुसार क्रम संख्या:
भूमि संयोजन योजना के अधीन विस्तार:
अध्यासी का नाम

कुल विस्तार
खसरा संख्या
विलेख स्वामित्व संख्या

भू स्वामी के हस्ताक्षर

तारीख

टिप्पणी: यदि एक से अधिक स्वामी हो तो जितने आवेदक हैं उतने पृष्ठ नत्थी किये जाय।

सत्यापन

इस कार्यालय में उपलब्ध नवीनतम राजस्व अभिलेखों/दाखिल खारिजों/विक्रय विलेखों के अनुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन के प्रस्तर 1 में यथाउल्लिखित भूमि के विवरण सही है।

(विकास प्राधिकरण)



**उत्तराखण्ड भूमि संयोजन योजना (क्रियान्वयन) नियम 2015 यथा संशोधित
नियम 2016 (Land pooling) के अन्तर्गत भूमि संयोजन के सम्बन्ध में
भू-स्वामियों से निम्न अर्हताएं भी अपेक्षित होगी:—**

1. संयोजन की जाने वाली प्रस्तावित भूमि हरिद्वार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 334 पर देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस-वे का राष्ट्रीय राजमार्ग 334 पर ड्राप प्वाइन्ट ग्राम-बढ़ेडी राजपूताना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 334 से राष्ट्रीय राजमार्ग 34 को जाने वाली रिंग रोड, ग्राम-मनोहरपुर के मध्य स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 334 के दोनों ओर 2.50 कि०मी० गंगा कैनाल तक।
2. संयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि के ऊपर से हाइटेंशन लाईन नहीं गुजरनी चाहिए।
3. संयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि डूब क्षेत्र में स्थित नहीं होनी चाहिए।
4. यदि संयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि के आस-पास कोई नदी आदि स्थित हो, तो ऐसी दशा में फ्लड प्लेन एरिया के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।
5. संयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि क्षेत्रफल एक साथ एक जगह पर ही होने चाहिए।
6. भूमि संयोजन योजना में प्रस्तावित भूमि विद्यमान लोक सड़क निकटतम या पहुंच वाली होगी।
7. संयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि विवाद रहित होनी चाहिए।
8. संयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि के भू-स्वामी द्वारा गूगल कोर्डिनेट भी प्रस्तुत करना होगा।
9. संयुक्त स्वामित्व की दशा में सभी भू-स्वामियों द्वारा आवेदन पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।